कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone – 07868-222006 (O), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail:dfoknk@rediffmail.com

---

क्रमांक/मा.चि./2019/ 1458   कांकेर, दिनांक 6 /08/2019

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त कांकेर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act. 1980 proposed for Govt. polytechnic building for skill upgradation, area 4.309 ha. - regarding.**

आनलाईन पंजीयन क्रमांक – **FP/CG/Others/27773/2017**

संदर्भ :– 01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.), अरण्य भवन, सेक्टर – 19, नार्थ ब्लाक, नया रायपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–720/3298 दिनांक 04.10.2018 ।

02. आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 32/2018/7932 दिनांक 28.11.2018 ।

—00—

विषयान्तर्गत प्रतिवेदन है कि, संदर्भित पत्र 01 के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा विषयांकित प्रकरण में 01 से 05 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, जिसे आपके संदर्भित पत्र 02 के तहत इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

तदानुसार प्रकरण में चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :–

	अतिरिक्त बिन्दु का विवरण		चाही गई अतिरिक्त जानकारी का विवरण
1.	कलेक्टर कार्यालय द्वारा वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित प्रमाण पत्र वेब पर अपलोड नहीं किया गया है।	:–	कलेक्टर द्वारा जारी वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित प्रमाण पत्र वेब पर अपलोड किये गये है, जिसकी सूचना प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/354 दिनांक 10.07.2019 के माध्यम से इस कार्यालय को दी गई है, हॉडकापी संलग्न है।
2.	वन मण्डलाधिकारी द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण के Geo - Referenced Map एवं Toposheet हस्ताक्षरित नक्शा अपलोड नहीं किया गया है।	:–	वन मण्डलाधिकारी द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण के Geo - Referenced Map की हस्ताक्षरित नक्शा वेब पर अपलोड किया गया है तथा Toposheet बड़ी साईज में होने के कारण हस्ताक्षरित नक्शा को अपलोड नहीं किया गया है, बल्कि डी.जी.पी.एस. सर्वे से प्राप्त नक्शा को वेब पर अपलोड किया गया है, हॉडकापी संलग्न है।

3.	आवेदित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर, कांकेर का प्रमाण पत्र संलग्न है तथा अनुवर्ती पृष्ठों में ग्राम सभा नवागांव की वन अधिकार मान्यता पत्र संबंधी कार्यवाही विवरण प्रस्ताव में संलग्न है, किन्तु प्रस्ताव के साथ Sub Division Committee का कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं है।	:–	सरपंच ग्राम पंचायत नाथियानवगांव द्वारा जारी कार्यवाही विवरण अनुसार Sub Division Committee का कार्यवाही विवरण एवं कलेक्टर द्वारा जारी वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी समस्त दस्तावेज को वेब पर अपलोड किया गया है तथा प्रस्ताव के पेज क्रमांक 99 में Sub Division Committee का कार्यवाही विवरण संलग्न है, हॉडकापी संलग्न है।
4.	पॉलीटेक्निक निर्माण हेु प्रस्तावित क्षेत्र Site Specific है। अतः कलेक्टर, जिला कांकेर से प्रस्तावित क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करें।	:–	कलेक्टर, जिला – उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/769/कले./भू अभि. /2019 दिनांक 27.06.2019 द्वारा जारी उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त को वेब पर अपलोड किया गया है, हॉडकापी संलग्न है।
5.	kml file के परीक्षण में पाया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र में निर्माण कार्य दिख रहा है अर्थात वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है। आपके द्वारा उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाये। यदि निर्माण प्रारंभ किया जा चुका है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण दिया जाये।	:–	प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर को शासन से बजट प्राप्त होने के कारण लेप्स न हो इसलिए तत्कालिन कलेक्टर एवं तत्कालिन वन मण्डलाधिकारी द्वारा छात्र/छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता न हो उन्हे गृह जिला में ही तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो सके को ध्यान में रखते हुए तथा राष्ट्रहित एवं जनहित में होने के कारण भारत सरकार जनजातिय कार्य मंत्रालय के पत्रांक 23011/15/2008– एस.जी.–2 तिथि 18 मई 2009 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित 13 सुविधाओं में उल्लेखित नियमों के तहत Skill Upgradation or vocational training centres हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2013/4733 दिनांक 03.05.2013 को वन मण्डलाधिकारी द्वारा रकबा 0.999 हें. विपथन की अनुमति दी गई थी, जिसमें ही उनके द्वारा वहाँ शासकीय पॉलीटेक्नि कॉलेज निर्माण गया है, शेष रकबा

		3.310 हे. में कोई कार्य नहीं किया गया है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2015/3839 दिनांक 10.08.2015 के माध्यम से प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर को रकबा 0.999 हें. को रकबा 3.310 हें. जोड़ कर कुल रकबा 4.309 हें. का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गयाा है। आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल में किसी भी प्रकार के वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई गई है।

प्रस्ताव अनुशंसा सहित भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मूलतः संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न – 01. प्रस्ताव 04 प्रतियों में मूलप्रति के साथ।

02. व्यपवर्तन/वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट, के.एम.एल. फाईल एवं Shape File 04–04 प्रतियों में।

3. ऑनलाईन पार्ट – 02 की मूलप्रति, पेज क्रमांक 01 से 04 तक एवं Time Line Details

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर

पृ. क्रमांक/मा.चि./2019/1459 कांकेर, दिनांक 6/08/2019

प्रतिलिपि –

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर छत्तीसगढ़ को संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

02. प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर को सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर